G-CMS No. .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19 08/25	पत्रावली पेश हुई। आवेदक पक्ष एवं वैकल्पिक सरकार उपस्थित है। प्रकरण के संबंध में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक 572 दिनांक 12-8-25 से मौका स्थिति रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार शाहपुरा के प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम शाहपुरा के आराजी नम्बर 49 पर रकबा 16.68 है० बिल्म गेरु पेटा खाता क्र० 01 में विलायत सरकार दर्ज रेकार्ड है तथा मौके पर तालाब काबिज कराब रीत है जिसमें पानी भरता है। अतः प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार प्रकरण में पारित निर्णयों के प्रकाश में है। अतः उपरोक्त विवेचन के विवर्णित भूमि गेरु पेटा बिल्म की होकर मौके पर तालाब काबिज कराब रीत है। अतः यह भूमि धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी स्थिति विवर्णित आराजियात के संबंध में किसी भी प्रकार का निर्णय दिया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। धारा 16 के अन्तर्गत आने वाली भूमि के किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं दिया जा सकते है अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाना न्यायालय उचित समझता है। आदेश वाद ग्राम शाहपुरा ता० हा० शाहपुरा तहसील शाहपुरा में स्थित आराजी 49 पर रकबा 16.68 है० भूमि की किस्म पेटा गैर व मौका स्थिति अनुसार जल कराब रीत होकर धारा 16 के अन्तर्गत आने भूमि होने से दावे का खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद दाखला रजिस्टर के काम होकर दाखिल दफ्तर हो।	